प्रेस नोट
दिनांक 01.05.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–74/2025, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तो–01. शाहिद पुत्र ताहिर, 02. ताहिर पुत्र सईद निवासीगण कस्बा खरगूपुर पुरानी बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को भगवानदीन पुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 30.04.2025 को वादी असलम उर्फ मुनीम पुत्र रमजान नि0 मोहल्ला सदर बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी लड़की की शादी थाना खरगूपुर के रहने वाले शाहिद पुत्र ताहिर के साथ हुई थी। पति व उसके परिजनों की घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होकर उसकी बेटी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 01.05.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे 02 आरोपी अभियुक्तो–01. शाहिद पुत्र ताहिर, 02. ताहिर पुत्र सईद निवासीगण कस्बा खरगूपुर पुरानी बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को भगवानदीन पुरवा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. शाहिद पुत्र ताहिर नि0 कस्बा खरगूपुर पुरानी बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. ताहिर पुत्र सईद नि0 कस्बा खरगूपुर पुरानी बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–74/2025, धारा 108 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव।
02. हे0का0 आदित्यनाथ यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 01.05.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गो तस्करी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0स0–101/25, धारा 352,351(3),61(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चांदे पुत्र असगर नि0 ग्राम हजरतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को दुल्लापुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी श्री शांत प्रकाश दुबे पुत्र अशोक दुबे निवासी ग्राम महंगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.04.2025 की रात्रि करीब 11 बजे गांव के ही विन्देश सिंह पुत्र अवधेश सिंह व मन्नू सिंह पुत्र तारकनाथ द्वारा अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर एक अर्धनिर्मित मकान में लगे पिलर व पेड़ में छुट्टा जानवरों को बांध रखे थे तथा रात्रि में पिकअप लाकर उस पर जानवरों को पीटकर बेरहमी से लाद कर ले गए तथा मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा पूर्व में 06 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 01.05.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त चांदे पुत्र असगर को दुल्लापुर क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. चांदे पुत्र असगर नि0 ग्राम हजरतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–101/25, धारा 352,351(3),61(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 उत्कर्ष पाण्डेय।
02. उ0नि0 विभव सिंह।
03. हे0का0 योगेन्द्र नाथ।
04. का0 अतुल कुमार सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।